07.05.25 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के कारण अस्वीकार किया जाता है। पूर्व में जारी T.O निरस्त की जाती है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर संलग्न किया गया। पत्रावली बाद तरतीब तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किरण पाल)
RAS.